राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण राजस्थान जयपुर,)

क्रमांकः–F7(170)/निजभूस/प्रशि./2012–13/8106-8326 दिनांकः– 7-9-12

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद (श्री गंगानगर के अतिरिक्त)
समस्त, राजस्थान।

विषयः–कठपुतली /नुक्कड़ नाटक/सांस्कृतिक कार्यक्रम कार्य सम्पादित कराने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश ।

प्रशिक्षण एवं दक्षता वृद्धि गतिविधि अन्तर्गत जलग्रहण परियोजनाओं में जनसमुदाय की अधिक से अधिक भागीदारी व जुड़ाव सुनिश्चित करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में कठपुतली /नुक्कड़ नाटकों / सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन एक प्रभावी माध्यम है। IWMP परियोजनाओं में इस गतिविधि के कराये जाने हेतु निम्नानुसार विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जाते है।

1. कठपुतली/नुक्कड़ नाटक/सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हेतु कलेण्डर कम से कम एक सप्ताह पूर्व जारी किया जायेगा जिसका अनुमोदन ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में कराया जायेगा एवं इसकी प्रति सूचनार्थ निदेशालय को ई–मेल एवं हार्ड कॉपी से आवश्यक रुप से भिजवायी जानी सुनिश्चित की जावें। इसे भिजवानें हेतु संबंधित PM / PIA व्यक्तिगत रुप से उत्तरदायी होगा निदेशालय को बिना पूर्व सूचना दिये उक्त प्रकार का कोई भी कार्यक्रम आयोजित नही किया जावें।
2. नुक्कड़ नाटक/सांस्कृतिक कार्यक्रम की दर आठ सदस्यीय दल द्वारा प्रति प्रस्तुति के लिये 3000/– रुपयें अधिकतम तथा कठपुतली कार्यक्रम की दर चार सदस्यीय दल द्वारा प्रति प्रस्तुति के लिये 1500/ रु. अधिकतम अनुमत्त होगी।
3. कार्यक्रमो का आयोजन पर्यटन विभाग/कला सांस्कृतिक एवं पुरातत्व विभाग/राजकीय विभागों/अन्य पंजीकृत व मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा अनुमोदित/प्रशिक्षित स्थानीय लोक कलाकारों से कराया जा सकेगा। कलाकारों की संख्या ग्रुप लीडर सहित 8 होगी तथा प्रतिदिन 1:30 से 2:00 घंटे का कार्यक्रम आयोजित करना होगा कलाकारों की संख्या कम होने पर आनुपातिक रुप से कम भुगतान देय होगा।
4. लोक कलाकारों को पारिश्रमिक का भुगतान अकाउन्ट पेयी चैक के माध्यम से किया जायेगा।
5. लोक कलाकारों के भुगतान के सम्बध में सामान्य वितीय एवं लेखा नियमो में वर्णित प्रकिया की पालना सुनिश्चित की जायेगी।
6. कठपुतली /नुक्कड़ नाटकों/सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन परियोजना के प्रारम्भिक चरण में ही किया जावेगा।
7. एक परियोजना में पूरे प्रारम्भिक चरण में इस कार्य हेतु निर्धारित बजट प्रावधानों के अधीन रहते हुए कार्यक्रम प्रति ग्राम आयोजित करवायें जा सकते है। तथा प्रति परियोजना पर अधिकतम व्यय 50,000/– रुपयें की सीमा तक ही अनुमत्त होगा।
8. ग्रुप लीडर एवं अन्य कलाकारों का नाम मय पूर्ण पता एवं मोबाइल नं./टेलिफोन नं.की सूचना भुगतान वाउचर्स के साथ आवश्यक रुप से संलग्न की जावें।

9. प्रत्येक प्रदर्शन का फोटो लिया जावें तथा भुगतान वाउचर्स के साथ आवश्यक रुप से संलग्न किया जावें। इसकी पूर्ण ठोस पालना सुनिश्चित की जावें तथा संबंधित परियोजना प्रबंधक (डी.डब्ल्यू.डी.सी.) /पी.आई.ए./कनिष्ठ अभियंता फोटो ग्राफ को निम्न प्रमाण पत्र अंकित कर प्रमाणित करेगा कि"यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्तानुसार कार्यक्रम वास्तव में आयोजित हुआ है। तथा फोटो ग्राफ मे दर्शाये गये समस्त तथ्यों का मेरे द्वारा सत्यापन किया गया है। तथा उक्त कार्यक्रम के आयोजन से जलग्रहण परियोजनाओं में जनसमुदाय की अधिक से अधिक भागीदारी व जुडाव सुनिश्चित हुआ है"

10. संस्था को भुगतान करने से पूर्व एफवीसीबिल पर संबंधित आहरण वितरण अधिकारी यह प्रमाण पत्र अंकित करेगा कि" भुगतान से पूर्व विभागीय निर्देशानुसार समस्त बिल वाउचर्स की जॉच कर ली गई है। तथा उनकी प्रतियॉ प्राप्त कर रिकार्ड में संलग्न कर ली गई है, एवं समस्त भुगतान विभागीय निर्देशो/वित्तिय नियमों के अनुसार सही है"।

11. उक्त कार्यक्रमों के आयोजन में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग–III के भाग II के क्रम.सं. 7(ख) {(I)} के अन्तर्गत प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के अधीन रहते हुए परियोजना प्रबंधक (डी.डब्ल्यू.डी.सी.) 5000/ रुपये तक पी.आई.ए.द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम को अनुमोदित कर सकेगें, इससे अधिक व्यय की स्वीकृती की शक्तियॉ विभागाध्यक्ष में निहित होगी। अतः इसके लिए प्रकरण पूर्व स्वीकृती हेतु निदेशालय को भिजवाना होगा।

12. कार्यक्रम का आयोजन ऐसे स्थान पर किया जावें जिसके पूर्ण प्रचार –प्रसार सुनिश्चित हो सके तथा निर्धारित बजट सीमा में सम्पूर्ण परियोजना क्षेत्र में प्रचार–प्रसार हो सकें।

उक्त दिशानिर्देशों की पूर्ण व ठोस पालना तुरन्त प्रभाव से सुनिश्चित की जावें । इस दिशा निर्देशों की पूर्ण पालना की व्यक्तिगत जिम्मेदारी संबंधित परियोजना प्रबंधक (डी.डब्ल्यू.डी.सी.) की होगी।

मुख्य कार्यकारी एसएलएनए
एवं निदेशक,ज0ग्र0वि0भू0स0
राजस्थान जयपुर।

क्रमांकः–F7(170)/निजभूस/प्रशि./2012–13/ 8126-8326 दिनांकः–

प्रतिलिपिः–
1. अतिरिक्त निदेशक प्रथम/द्वितीय निदेशालय ज0ग्र0वि0भू0स0
2. मुख्य लेखाधिकारी एस.एल.एन.ए. ज0ग्र0वि0भू0स0
3. निजी सचिव मुख्य कार्यकारी एस.एल.एन.ए. एवं निदेशक ज0ग्र0वि0भू0स0
4. प्रशासनिक अधिकारी एस.एल.एन.ए. ज0ग्र0वि0भू0स0
5. उपनिदेशक (IWMP- I, II, III,IV, V,VI,VII, VIII / MIES) /P.O.(LR) मुख्यालय
6. डीडब्लूडीसी (आईडब्लूएमपी) जिला परिषद समस्त (श्री गंगानगर के अतिरिक्त)
7. पीआईए (आईडब्लूएमपी) पंचायत समिति.....
8. ए.सी.पी. को भेजकर निवेदन है कि website पर upload करानें का श्रम करें।

DD - I

उपनिदेशक (प्रशिक्षण)